

08
2023

पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी की ओर से वकील अनुपस्थित। वादी की न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार आवाज लगावाई गई। बावजूद इसके वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः वादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से पत्रावली को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।

चंपखण्ड अधिकारी
शिवशंकर

